

LOK SABHA

Saturday, December 16, 1967/
Agrahayana 25, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (HARYANA), 1967-68

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : Sir, on behalf of Shri Morarji Desai, I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the State of Haryana for 1967-68.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM Sittings OF THE HOUSE

THIRD REPORT

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : Sir, I beg to present the Third Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

11.02 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम मुमण शिंह) : 18 दिसम्बर, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्न सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

- (1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार करना।
- (2) निम्न अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान —
1967-68 वर्ष के लिए मणीपुर के अनुदानों की अनुपूरक मांगें।
- (3) भारतीय टेरिफ़ (संशोधन) विधेयक, 1967 पर विचार तथा पास करना,

B. O. H.

- (4) 1967-68 वर्ष के लिये हरियाणा की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार तथा मतदान लिया जाना।
- (5) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना—
अस्त्रावस्थक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1967 प्रब्र समिति द्वारा प्रतिवेदित कप में।
- (6) बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, 1967।
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर, प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर विचार करना।
- (8) हरियाणा राज्य विधेयक विधान मंडल (शक्तियों का प्रस्तावोन) विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप पर विचार तथा पास करना।
- (9) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक 1967 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के प्रस्ताव पर विचार करना।
- (10) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना—
कीटनाशी विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, 1967।